

सं. 1-66/2010-आरटीआई (एएच)
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग


कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 5 मई, 2016

आदेश

इस विभाग के दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के समसंख्यक आदेश का आंशिक आशोधन करते हुए सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों में, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित आरटीआई आवेदनों के निपटान के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं:

क्र.सं.	सीपीआईओ का नाम तथा पदनाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
1.	डा. संजीत कुमार, सहायक आयुक्त (एएच)	व्यापार तथा निवेश, पशुचिकित्सा फार्मास्यूटिकल्स तथा जैविकीय और स्वास्थ्य उत्पादों से संबद्ध सभी मामले	श्री सागर मेहरा, निदेशक (टी)
2.	डा. सुजीत कुमार दत्ता, सहायक आयुक्त (एसी) (एएच)	i) वीसीआई से संबद्ध सभी मामले ii) एफएमडी, ईएसव्यूएचडी, सीडी/डीएल/आरडीडीएलएस, रोग नियंत्रण अधिनियम, ईडीएफजेड/कम्पार्टमेंट लाईसेंस	
3.	डा. एच.आर. खन्ना, सहायक आयुक्त (एलएच)	एवियन इन्फ्लूएंजा, सीएमपी, एएससीएडी, सीएसएफ-सीपी, से संबद्ध सभी मुद्दे द्विपक्षीय तथा आईसी मुद्दे, जोखिम आकलन, एफएओ/यूएसडीए मुद्दे	डा. एच.के. मुनियेलप्पा, संयुक्त आयुक्त (एलएच)
4.	डा. लिपि सेरीवाल, पशुधन अधिकारी	एलएच प्रभाग के सभी विविध मुद्दे तथा एक्यूसीएस, एनआईएच, पीपीआर तथा ब्रूसेलोसिस-सी पी से संबंधित मुद्दे	

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(धर्म प्रकाश)

अवर सचिव (आरटीआई)

वितरण:

1. डा. एच.के. मुनियेल्लप्पा, संयुक्त आयुक्त (एलएच)
2. श्री सागर मेहरा, निदेशक (ट्रेड)
3. डा. सुजीत कुमार दत्ता, सहायक आयुक्त (एएच)
4. डा. एच.आर. खन्ना, सहायक आयुक्त (एलएच)
5. डा संजीत कुमार, सहायक आयुक्त (ट्रेड)
6. डा. लिपि सैरीवाल, पशुधन अधिकारी

को इस अनुरोध के साथ कि उनके पास आज की तिथि के अनुसार लम्बित आरटीआई आवेदनों को उनके द्वारा तत्काल निपटाया जाना है।

प्रतिलिपि: 1. एनआईसी को डीएडीआर की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।